



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16012021-224473

CG-DL-W-16012021-224473

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16—जनवरी 22, 2021 (पौष 26, 1942)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16—JANUARY 22, 2021 (PAUSA 26, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 1 जनवरी 2021

सं. ए. 39011/44/16—प्रशा.—अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 31 दिसम्बर, 2020 के अपराहन से, श्री पी. एन. जोशी, अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है।

शिवेन्द्र चतुर्वेदी, उप सचिव (प्रशा.)

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 दिसंबर 2020

सं. ए. 22012/1(i)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020-CS.I(U) दिनांक 21.12.2020 के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री कुमार शैलेंद्र, अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700 रु.) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः 'तदर्थ आधार पर' नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति 22.12.2020 के पूर्वान्हन से 30.06.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने या अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

i. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन होगी—

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश और अंतिम निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामले।

- ख. ऑल इंडिया इक्वॉलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा फाइल की गई WP(C) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 31288/2017।
- ग. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन.जासरा और राज कुमार के संबंध में SLP सं. 5724-5725/2019।
- घ. अदालती मामले से संबंधित कोई अन्य मामला।
- ii. तदर्थ पदोन्नति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक अवर सचिव के पद पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- iii. प्रारंभ में तदर्थ पदोन्नति 30.06.2021 तक की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
- iv. तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
- v. तदर्थ पदोन्नति अवर सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख, से प्रभावी होगी।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए. 22012/1(ii)/2020- पीएमई—राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020-CS.I(U) दिनांक 21.12.2020 के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री मुकुल दीक्षित, अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स लेवल-11(67,700-2,08,700 रु.) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः 'तदर्थ आधार पर' नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति 22.12.2020 के पूर्वाह्न से 30.06.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने या अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

- i. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन होगी—
 - क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश और अंतिम निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामले।
 - ख. ऑल इंडिया इक्वॉलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा फाइल की गई WP(C) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 31288/2017।
 - ग. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन.जासरा और राज कुमार के संबंध में SLP सं.5724-5725/2019।
 - घ. अदालती मामले से संबंधित कोई अन्य मामला।
 - ii. तदर्थ पदोन्नति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक अवर सचिव के पद पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
 - iii. प्रारंभ में तदर्थ पदोन्नति 30.06.2021 तक की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
 - iv. तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
 - v. तदर्थ पदोन्नति अवर सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख, से प्रभावी होगी।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए. 22012/1(iii)/2020- पीएमई—राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020-CS.I(U) दिनांक 21.12.2020 के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री विकास कुमार, अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700 रु.) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः 'तदर्थ आधार पर' नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति 22.12.2020 के पूर्वाह्न से 30.06.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने या अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

i. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन होगी—

- क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश और अंतिम निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामले।
- ख. ऑल इंडिया इक्वॉलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा फाइल की गई WP(C) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 31288/2017।
- ग. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन.जासरा और राज कुमार के संबंध में SLP सं. 5724-5725/2019।
- घ. अदालती मामले से संबंधित कोई अन्य मामला।

- ii. तदर्थ पदोन्नति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक अवर सचिव के पद पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- iii. प्रारंभ में तदर्थ पदोन्नति 30.06.2021 तक की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
- iv. तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
- v. तदर्थ पदोन्नति अवर सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख, से प्रभावी होगी।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए. 22012/1(iv)/2020- पीएमई—राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020-CS.I(U) दिनांक 21.12.2020 के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री चन्दन सिंह, अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700 रु.) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः 'तदर्थ आधार पर' नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति 22.12.2020 के पूर्वाह्न से 30.06.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने या अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

i. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन होगी—

- क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश और अंतिम निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामले।
- ख. ऑल इंडिया इक्वॉलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा फाइल की गई WP(C) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 31288/2017।
- ग. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन.जासरा और राज कुमार के संबंध में SLP सं. 5724-5725/2019।
- घ. अदालती मामले से संबंधित कोई अन्य मामला।

- ii. तदर्थ पदोन्नति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक अवर सचिव के पद पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- iii. प्रारंभ में तदर्थ पदोन्नति 30.06.2021 तक की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
- iv. तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
- v. तदर्थ पदोन्नति अवर सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख, से प्रभावी होगी।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए. 22012/1(v)/2020- पीएमई—राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020-CS.I(U) दिनांक 21.12.2020 के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री लक्ष्मी चंद्र, अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700 रु.) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः 'तदर्थ आधार पर' नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति 22.12.2020 के पूर्वाह्न से 30.06.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने या अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

i. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन होगी-

- क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश और अंतिम निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामले।
- ख. ऑल इंडिया इक्वॉलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा फाइल की गई WP(C) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 31288/2017।
- ग. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन.जासरा और राज कुमार के संबंध में SLP सं. 5724-5725/2019।
- घ. अदालती मामले से संबंधित कोई अन्य मामला।
- ii. तदर्थ पदोन्नति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक अवर सचिव के पद पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- iii. प्रारंभ में तदर्थ पदोन्नति 30.06.2021 तक की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
- iv. तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
- v. तदर्थ पदोन्नति अवर सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख, से प्रभावी होगी।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए. 22012/1(vi)/2020- पीएमई—राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020-CS.I(U) दिनांक 21.12.2020 के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री सौरभ मिश्र, अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700 रु.) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः 'तदर्थ आधार पर' नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति 22.12.2020 के पूर्वाह्न से 30.06.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने या अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

i. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन होगी—

- क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश और अंतिम निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामले।
- ख. ऑल इंडिया इक्वॉलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा फाइल की गई WP(C) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 31288/2017।
- ग. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन.जासरा और राज कुमार के संबंध में SLP सं. 5724-5725/2019।
- घ. अदालती मामले से संबंधित कोई अन्य मामला।
- ii. तदर्थ पदोन्नति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक अवर सचिव के पद पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- iii. प्रारंभ में तदर्थ पदोन्नति 30.06.2021 तक की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
- iv. तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

अपरतदर्थ पदोन्नति अवर सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख, से प्रभावी होगी।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए. 22012/1(vii)/2020- पीएमई—राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020-CS.I(U) दिनांक 21.12.2020 के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री प्रेम पाल सिंह, अनुभाग अधिकारी को पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700 रु.) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः 'तदर्थ आधार पर' नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति 22.12.2020 के पूर्वाह्न से 30.06.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने या अगले आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

i. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन होगी-

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश और अंतिम निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वॉलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा फाइल की गई WP(C) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न SLP(C) सं. 31288/2017।

ग. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन.जासरा और राज कुमार के संबंध में SLP सं. 5724-5725/2019।

घ. अदालती मामले से संबंधित कोई अन्य मामला।

ii. तदर्थ पदोन्नति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक अवर सचिव के पद पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

iii. प्रारंभ में तदर्थ पदोन्नति 30.06.2021 तक की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

iv. तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

v. तदर्थ पदोन्नति अवर सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख, से प्रभावी होगी।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2021

सं. ए.22012/1(i)/2020-पीएमई (पार्ट I)—राष्ट्रपति, श्री यादव मनहरसिंह लक्ष्मणभाई, भारतीय विदेश सेवा (2007) को वर्तमान में उनके द्वारा प्रधान मंत्री कार्यालय में धारित उप सचिव के पद का पदनाम उनके निजी कारणों से बदल कर निदेशक करते हुए, प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 01.01.2021 के पूर्वाह्न से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री यादव मनहरसिंह लक्ष्मणभाई, भारतीय विदेश सेवा (2007) के कार्यकाल को 28.01.2021 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 28.01.2022 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए.22012/1(ii)/2020-पीएमई (पार्ट I)—राष्ट्रपति, श्री मंगेश घिल्लियाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यूडी: 2012), जो वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय में अवर सचिव के पद पर हैं, को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 01.01.2021 के पूर्वाह्न से 01.10.2024 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2021

सं. ए.22012/1/2020-पीएमई (पार्ट I)—राष्ट्रपति, सुश्री ऐश्वर्या सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एसके:2008), की प्रधान मंत्री कार्यालय में उप सचिव की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 05.02.2021 के पर्यन्त एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

दिनांक 5 जनवरी 2021

सं. जी.एफ.402/2015-पीएमई—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के संदर्भ में, श्री अमरीक सिंह, निदेशक को उक्त अधिनियम के तहत प्रधान मंत्री कार्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए 11 दिसंबर, 2020 के अपराहन से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर 2020

सं. ए-19011/10/92-प्रशा.1(वि.का.)—अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री डी.एस. मेहरा, भारतीय विधिक सेवा के सरकारी अधिवक्ता संवर्ग के अपर सरकारी अधिवक्ता, वर्तमान में ऋण वसूली अधिकरण, सिलिगुड़ी में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त, दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

अनिल कुमार जोशी, निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2021

सं. I-14011/19/2020-IPS.I (E) (I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 01.01.2021 को चयन समिति की दिनांक 01.12.2020 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2019 की चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग में 05 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु राजस्थान पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:—

चयन सूची 2019

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.*	भरत लाल मीणा	31.07.1963
2.	मनीष त्रिपाठी	15.08.1971
3.	सुधीर जोशी	30.06.1974
4.	राज कुमार चौधरी	06.08.1966
5.#	सत्य पाल मिठा	02.08.1963

*क्रम संख्या 1 पद पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामले के निपटान करने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है।

#क्रम संख्या 5 पद पर दिये गये नाम को राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. I-14011/19/2020-IPS.I (E) (II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत राजस्थान संवर्ग प्रदान करते हैं:—

चयन सूची 2019

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	मनीष त्रिपाठी	15.08.1971
2.	सुधीर जोशी	30.06.1974
3.	राज कुमार चौधरी	06.08.1966

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. आई-18012/03/2020-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
1	चिरंतन नाग (च.सूची-2009)	22.02.2011
2	ऑंगमू ग्याम्तशो (च.सूची-2009-ए)	01.03.2012
3	मे० इमरान वहाब (च.सूची-2009-ए)	01.03.2012
4	अजय कुमार ठाकुर (च.सूची-2010)	08.06.2013
5	अर्नब घोष (च.सूची-2010)	08.06.2013
6	डेविड इवान लेप्चा (च.सूची-2014)	08.02.2017
7	द्वितिमान भट्टाचार्य (च.सूची-2014)	08.02.2017
8	अंशुमन साहा (च.सूची-2015)	11.12.2018
9	सैकत घोष (च.सूची-2015)	11.12.2018
10	देबासीष नन्दी (च.सूची-2016)	11.02.2020
11	राज नारायण मुखर्जी (च.सूची-2016)	11.02.2020
12	दिव्यजोति दास (च.सूची-2016)	11.02.2020
13	ज्यार्तिरमोय राय (च.सूची-2016)	11.02.2020
14	निमा नोरबू भूटिआ (च.सूची-2016)	11.02.2020
15	चंद्रशेखर बर्धन (च.सूची-2016)	11.02.2020

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. आई-18012/04/2020-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति गुजरात संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
1	एम. ए. चावडा (च.सूची-2005)	12.05.2007
2	जे. आर. मोथालिया (च.सूची-2005)	12.05.2007
3	एस. के. गाधवी (च.सूची-2008)	25.02.2010
4	एच. आर. मुलिआना (च.सूची-2008)	25.02.2010
5	डी. एच. परमार (च.सूची-2008)	25.02.2010
6	एम. एस. भराडा (च.सूची-2009)	08.04.2011
7	एच. आर. चौधरी (च.सूची-2009)	08.04.2011
8	पी. एल. मल (च.सूची-2010)	01.05.2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
9	एम. एल. निनामा (च.सूची-2010)	01.05.2013
10	एम. एस. भाभोर (च.सूची-2010)	01.05.2013
11	बी. आर. पण्डोर (च.सूची-2010)	01.05.2013
12	एन. एन. चौधरी (च.सूची-2010)	01.05.2013
13	ए. जी. चौहान (च.सूची-2010)	01.05.2013
14	एम. के. नायक (च.सूची-2010)	01.05.2013
15	आर. वी. असारि (च.सूची-2010)	01.05.2013
16	के. एन. दामोर (च.सूची-2010)	01.05.2013
17	श्रीमती पी. वी. राठोड (च.सूची-2011)	28.12.2013
18	आर. एम. पाण्डे (च.सूची-2011)	28.12.2013
19	के. ए. निनामा (च.सूची-2012)	06.01.2015

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

सं. ए-19013/01/2000(1)-प्रशा.- (6642)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 दिसंबर, 2020 के आदेश सं. 4/6/2018-सीएस-I(डी) (पीटी.) के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के तदर्थ आधार पर शामिल किए जाने और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री श्याम सुन्दर मोदी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव (सीएसएस सं. 6080) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिनांक 14 दिसंबर, 2020 के पूर्वाह्न से वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु. 1,23,100—2,15,900) में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. 'तदर्थ' आधार पर निदेशक के रूप में उक्त अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) 'तदर्थ' पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम में अधीन रहेगी:

- (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिनांक 15/7/2011 को पारित आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय में टैग किए गए अन्य मामले।
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर की गई डब्ल्यू (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017।
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध श्री एस.एन. जसरा एवं श्री राजकुमार के संबंध में एसएलपी सं. 5724-5725/2019।
- (घ) कोई अन्य न्यायालय संबंधी मामला।

(ii) तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को निदेशक के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(iii) तदर्थ पदोन्नति, प्रारंभ में 31.12.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

(iv) तदर्थ पदोन्नति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

खमचिन नाउलक, अवर सचिव

सं. ए-19013/01/2000(2)-प्रशा.- (6642)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 दिसंबर, 2020 के आदेश सं. 4/5/2020-सीएस-I(डी) के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के वरिष्ठ चयन ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर शामिल किए जाने और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री धनन्जय कुमार, अवर सचिव (यूएसएसएस 2010 सीएसएस सं. 6619), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिनांक 14 दिसंबर, 2020 के पूर्वाह्न से वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु. 78,800—2,09,200) में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. 'तदर्थ' आधार पर उप सचिव के रूप में उक्त अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम में अधीन रहेगी:

- (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिनांक 15/7/2011 को पारित आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय में टैग किए गए अन्य मामले।
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर की गई डब्ल्यू (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017।
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध श्री एस.एन. जसरा एवं श्री राजकुमार के संबंध में एसएलपी सं. 5724-5725/2019।
- (घ) कोई अन्य न्यायालय संबंधी मामला।

(ii) तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को उप सचिव के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(iii) तदर्थ पदोन्नति, प्रारंभ में 30.06.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

(iv) तदर्थ पदोन्नति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

खमचिन नाउलक, अवर सचिव

सं. ए-19013/01/2000(3)-प्रशा.- (6642)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 दिसंबर, 2020 के आदेश सं. 5/10/2020-सीएस-I (यू) के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) के तदर्थ आधार पर शामिल किए जाने और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री संतोष कुमार, अनुभाग अधिकारी (एसओएसएल 2010 सीएसएल सं. 10700), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिनांक 14 दिसंबर, 2020 के पूर्वाहन से वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु. 67,700-2,08,700) में तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. 'तदर्थ' आधार पर अवर सचिव के रूप में उक्त अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) 'तदर्थ' पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम में अधीन रहेगी:

- (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिनांक 15/7/2011 को पारित आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय में टैग किए गए अन्य मामले।
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर की गई डब्ल्यू (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017।
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध श्री एस.एन. जसरा एवं श्री राजकुमार के संबंध में एसएलपी सं. 5724-5725/2019।
- (घ) कोई अन्य न्यायालय संबंधी मामला।

(ii) तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को अवर सचिव के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा काने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(iii) तदर्थ पदोन्नति, प्रारंभ में 30.06.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

(iv) तदर्थ पदोन्नति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

खमचिन नाउलक, अवर सचिव

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2020

सं. 14015/03/2019-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन

सूची, 2018 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार द्वारा उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के असम खण्ड में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 26.12.2019 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के तहत दिनांक 17.02.2020 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करने वाली असम के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:—

2018 की चयन सूची (01.01.2018 से 31.12.2018 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	हितेश देव शर्मा	02.07.1962
2.	हेमन दास	02.01.1962
3.	देवज्योति हजारिका	02.03.1962
4.	सीमा रेखा भुईया	09.11.1962
5.	बिनीता पेगू	02.06.1967
6.	रूपज्योति सहरिया	23.01.1962
7.	उमानन्द डोले	15.08.1964
8.	प्रभाति थाओसेन	11.11.1965
9.	जूरी डेका ठाकुर	10.05.1963

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/03/2019-अ.भा.से.(I)-ख— भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 की धारा (3) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची, 2018 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार द्वारा उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत असम-मेघालय संवर्ग आवंटित करते हैं:—

2018 की चयन सूची (01.01.2018 से 31.12.2018 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	हितेश देव शर्मा	02.07.1962
2.	हेमन दास	02.01.1962
3.	देवज्योति हजारिका	02.03.1962
4.	सीमा रेखा भुईया	09.11.1962
5.	बिनीता पेगू	02.06.1967
6.	रूपज्योति सहरिया	23.01.1962
7.	उमानन्द डोले	15.08.1964
8.	प्रभाति थाओसेन	11.11.1965
9.	जूरी डेका ठाकुर	10.05.1963

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 9 अक्टूबर 2020

सं. 14015/06/2020-अ.भा.से.(I)-क— राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक

03.09.2020 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 07.10.2020 को अनुमोदित की गई गुजरात के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:—

2019 की चयन सूची (1.1.2019 से 31.12.2019 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1*.	ए आर सिंह	10.06.1963
2#.	ए.एम. ज़ला	15.10.1962
3.	डी.डी. जडेजा	16.07.1968
4%.	एस.के. मोदी	31.07.1966
5.	आर.एम. तन्ना	28.02.1967
6.	ए. बी. पटेल	28.11.1965
7.	पी.आर. जोशी	11.08.1964
8.	के.सी. संपत	28.12.1966
9@.	जे.डी. जोशी	26.02.1968
10.	आर.ए. मेराजा	28.06.1963
11.	एम के दवे	07.02.1966
12.	पी.डी. पलसाना	01.06.1966
13.	ए. बी. राठौड़	25.10.1964
14.	एन.एन. दवे	22.03.1965
15.	वी.एन. शाह	05.10.1966
16.	एस.के. प्रजापति	04.07.1969

* क्र.सं. 1 पर उल्लिखित नाम को सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अनापत्ति प्रदान करने और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

क्र.सं. 2 पर उल्लिखित नाम को सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक और आपराधिक मामलों पर अनापत्ति प्रदान करने और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

% क्र.सं. 4 में उल्लिखित नाम को सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी पर अनापत्ति प्रदान करने और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

@ क्र.सं. 9 में उल्लिखित नाम को सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही पर अनापत्ति प्रदान करने और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/06/2020-अ.भा.से.(I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2019 की चयन सूची के लिए उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए गुजरात राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित, सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत गुजरात संवर्ग आबंटित करते हैं:—

2019 की चयन सूची (1.1.2019 से 31.12.2019 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	डी.डी. जडेजा	16.07.1968
2.	आर.एम. तन्ना	28.02.1967
3.	ए.बी. पटेल	28.11.1965

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
4.	पी.आर. जोशी	11.08.1964
5.	के.सी. संपत	28.12.1966
6.	आर.ए. मेराजा	28.06.1963
7.	एम.के. दवे	07.02.1966
8.	पी.डी. पलसाना	01.06.1966
9.	ए.बी. राठौड़	25.10.1964
10.	एन.एन. दवे	22.03.1965
11.	वी.एन. शाह	05.10.1966
12.	एस. के. प्रजापति	04.07.1969

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 15 अक्टूबर 2020

सं. 14015/21/2020-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 27.08.2020 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 14.09.2020 को अनुमोदित की गई तमिलनाडु के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची सूचियों को अधिसूचित करते हैं:—

2019 की चयन सूची (1.1.2019 से 31.12.2019 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	बी. गणेशन	16.04.1975
2.	एम.एस. संगीता	06.06. 1976
3.	टी. क्रिष्टराज	26.10. 1976
4.	आर. वृंदा देवी	08.03.1978
5.	एम. अरूणा	01.06.1977

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/21/2020-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2019 की चयन सूची के लिए उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए तमिलनाडु राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश होने तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत तमिलनाडु संवर्ग आवंटित करते हैं:—

2019 की चयन सूची (1.1.2019 से 31.12.2019 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	बी. गणेशन	16.04.1975
2.	एम.एस. संगीता	06.06. 1976
3.	टी. क्रिष्टराज	26.10. 1976
4.	आर. वृंदा देवी	08.03.1978
5.	एम. अरूणा	01.06.1977

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसंबर 2020

सं. 14015/16/2020-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची, 2019 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड संवर्ग की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 28.09.2020 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 25.11.2020 को अनुमोदित की गई नागालैंड के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची, 2019 को अधिसूचित करते हैं:—

2019 की चयन सूची (1.1.2019 से 31.12.2019 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	जन्म तिथि
1.	नेपोसो थेलूओ (अनुसूचित जनजाति)	20.09.1963
2.	के. लिबानथुंग लोथा (अनुसूचित जनजाति)	12.06.1965
3.	ल्होउच्चालि विया (अनुसूचित जनजाति)	12.08.1965
4.	के.एस. अंदेन कोनयाक (अनुसूचित जनजाति)	12.06.1965
5.	खुपी सोथू (अनुसूचित जनजाति)	31.03.1963
6.	अथेल ओ. लोथा (अनुसूचित जनजाति)	21.08.1965
7.	वेजोप केनये (अनुसूचित जनजाति)	22.09.1965

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/16/2020-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2019 की चयन सूची के लिए उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए नागालैंड के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित, सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत नागालैंड संवर्ग आबंटित करते हैं:—

2019 की चयन सूची (1.1.2019 से 31.12.2019 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	जन्म तिथि
1.	नेपोसो थेलूओ	20.09.1963
2.	के. लिबानथुंग लोथा	12.06.1965
3.	ल्होउच्चालि विया	12.08.1965
4.	के.एस. अंदेन कोनयाक	12.06.1965
5.	खुपी सोथू	31.03.1963
6.	अथेल ओ. लोथा	21.08.1965
7.	वेजोप केनये	22.09.1965

पंकज गंगवार, अवर सचिव

दिनांक 15 दिसम्बर 2020

सं. 14015/04/2018-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2016 एवं 2017 (एससीएस) के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने

के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 14.10.2020 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के तहत 10.12.2020 को अनुमोदित किए गए निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करने वाली बिहार संवर्ग के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:—

2016 की चयन सूची (1.1.2016 से 31.12.2016 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
1*	रघुनन्दन झा	01.01.1961
2@	परमेश्वर राम	06.02.1959
3	अजय कुमार सिन्हा	05.01.1960
4	डा. राजीव कुमार	13.07.1960
5#	मुकेश दत्त शर्मा	29.02.1960
6	अरूण कुमार	06.01.1961
7	राम अनुग्रह नारायण सिंह	18.12.1962
8	ओम प्रकाश पाल	02.01.1962
9@	ओम प्रकाश प्रसाद	05.07.1962
10	निवेदिता राय	28.12.1960
11	रमेश प्रसाद रंजन	18.02.1960
12	जय शंकर प्रसाद	14.01.1962
13	नीलम चौधरी	20.07.1964
14	विजय रंजन	09.10.1961
15	सतीश कुमार शर्मा	19.01.1963

* क्र. सं. 1 पर उल्लिखित अधिकारी के नाम को सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

@ क्र. सं. 2 और 9 पर उल्लिखित अधिकारियों के नाम को सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

क्र. सं. 5 पर उल्लिखित अधिकारी के नाम को सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

2017 की चयन सूची (1.1.2017 से 31.12.2017 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
%0A*	रघुनन्दन झा	01.01.1961
%0B@	परमेश्वर राम	06.02.1959
%0C#	मुकेश दत्त शर्मा	29.02.1960
%0D@	ओम प्रकाश प्रसाद	05.07.1962
1.	पंकज पटेल	26.01.1961
2.	मनोज कुमार झा	11.05.1961
3.	कृत्या नन्द सिंह	01.03.1961
4.	जीउत सिंह	02.09.1963
5.	बिमलेश कुमार झा	30.12.1961
6.	ऋषिदेव झा	12.11.1962
7.	संजय कुमार सिंह	19.02.1962
8.	संजय कुमार उपाध्याय	14.12.1963
9.	राकेश मोहन	18.01.1961

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
10.	दयानन्द मिश्रा	09.08.1961
11.	रामेश्वर पाण्डे	14.03.1962
12.	राज कुमार सिन्हा	15.11.1961
13.	श्याम किशोर	14.11.1961
14.	राम ईश्वर	25.01.1963
15.	ओम प्रकाश यादव	08.08.1963
16.	प्रभु राम	18.01.1961
17.	सुरेश चौधरी	05.04.1964

% क्र. सं. 0A, 0B, 0C और 0D पर उल्लिखित अधिकारियों के नाम को आईएएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त चयन सूची में शामिल किया गया है।

* क्र. सं. 0A पर उल्लिखित अधिकारी के नाम को सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

@ क्र. सं. 0B और 0D पर उल्लिखित अधिकारियों के नाम को सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

क्र. सं. 0C पर उल्लिखित अधिकारी के नाम को सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/04/2018-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2016 और 2017 के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए बिहार राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग आबंटित करते हैं:

2016 की चयन सूची (1.1.2016 से 31.12.2016 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	अरूण कुमार	06.01.1961
2.	राम अनुग्रह नारायण सिंह	18.12.1962
3.	ओम प्रकाश पाल	02.01.1962
4.	निवेदिता राय	28.12.1960
5.	जय शंकर प्रसाद	14.01.1962
6.	नीलम चौधरी	20.07.1964
7.	विजय रंजन	09.10.1961
8.	सतीश कुमार शर्मा	19.01.1963

2017 की चयन सूची (1.1.2017 से 31.12.2017 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	पंकज पटेल	26.01.1961
2.	मनोज कुमार झा	11.05.1961

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
3.	कृत्या नन्द सिंह	01.03.1961
4.	जीउत सिंह	02.09.1963
5.	बिमलेश कुमार झा	30.12.1961
6.	ऋषिदेव झा	12.11.1962
7.	संजय कुमार सिंह	19.02.1962
8.	संजय कुमार उपाध्याय	14.12.1963
9.	राकेश मोहन	18.01.1961
10.	दयानन्द मिश्रा	09.08.1961
11.	रामेश्वर पाण्डे	14.03.1962
12.	राज कुमार सिन्हा	15.11.1961
13.	श्याम किशोर	14.11.1961
14.	राम ईश्वर	25.01.1963
15.	ओम प्रकाश यादव	08.08.1963
16.	प्रभु राम	18.01.1961
17.	सुरेश चौधरी	05.04.1964

पंकज गंगवार, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2021

सं. 01/पीबी- I/2021—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री भोला नाथ दत्ता (जन्म तिथि 01.01.1961) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

सं. 02/पीबी-I/2021—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री मोहन लाल (जन्म तिथि 01.01.1961) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

सं. 03/पीबी-I/2021—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सुश्री बिमला चौहान (जन्म तिथि 11.12.1960) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

उप प्रोटोकॉल प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2021

सं. डी III /460/सी एफ-11/2019—भारत के राष्ट्रपति चेन्नई में तंजानिया संयुक्त गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री कृष्णा नरसिंगराव पिम्पले की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री कृष्णा नरसिंगराव पिम्पले के कौंसली क्षेत्राधिकार में तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य होंगे, जिसका केंद्र चेन्नई होगा।

गौरव कुमार ठाकुर, उप प्रोटोकॉल प्रमुख (एफ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसंबर 2020

सं. 6/2619/2016/एचआरडी-I/1445—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय में श्री राम कुमार शर्मा, प्रधान निजी सचिव (सीएसएसएस) दिनांक 30.11.2020 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

संजय कुमार तिवारी, उप महानिदेशक विदेश व्यापार

दिनांक 31 दिसम्बर 2020

सं. 6/2640/2011/एचआरडी-I/1206—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, विदेश व्यापार महानिदेशालय में सुश्री थेस्य मैथ्यू, उप महानिदेशक विदेश व्यापार दिनांक 31.12.2020 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

संजय कुमार तिवारी, उप महानिदेशक विदेश व्यापार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 28 दिसंबर 2020

सं. ए-12025/02/2018 के. स्वा. सेवा-IV—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, डॉ सास्वती दास को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में एक वर्ष की परीक्षा पर दिनांक 27 नवंबर 2018 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-III (जैव रसायन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

विवेक नारायण, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2021

सं. ईआरबी-1/2016/2/30—राष्ट्रपति, श्री नरेश सलेचा, आईआरएस को 30.12.2020 के अपराहन से शीर्ष वेतनमान (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल-17) में सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

सं. ईआरबी-1/2017/2/44—राष्ट्रपति, श्रीमती अल्का अरोड़ा मिश्रा, आईआरपीएस को 01.01.2021 के पूर्वाहन से वेतनमान-16 में पदोन्नत होने पर, अपर सदस्य (एच आर), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

सं. ईआरबी-1/2020/2/65—राष्ट्रपति, श्री सुनील शर्मा, आईआरएसएमई को 01.01.2021 के पूर्वाहन से शीर्ष वेतनमान (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल-17) में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

दिनांक 5 जनवरी 2020

सं. ईआरबी-1/2020/2/2—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) ग्रेड अधिकारी श्री वार्ड. एस. चौधरी को दिनांक 01.01.2021 (पूर्वाहन) से पे बेंड-3 रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- (संशोधन पूर्व) में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (सीनियर पीपीएस) के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

सं. क्यू-16012/01/2020-इएसए (डब्ल्यूई)—दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) के नियम एवं विनियम के पैरा 3(i) और 4(i) के अनुसरण में, भारत सरकार श्री विरजेश उपाध्याय को एतद् द्वारा उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नामित करता है।

भारत के राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित व समय-समय पर संशोधित जितना कि यह उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 1 से संबंधित है तदनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2018, के अधिसूचना सं० क्यू-16012/1/2016-इएसए(डब्ल्यू) में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाएगा।

मौजूदा प्रविष्टि के लिए अर्थात्

श्री हिर्णमया जे. पांड्या

109, मित्तल एपार्टमेंट,

ट्यूब कंपनी के नजदीक,

जूना पादरा रोड, वडोदरा-390020

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्

श्री विरजेश उपाध्याय

हाउस संख्या 32 ए/1 शिवपुरी पार्ट - 2

द्वारका गोयला रोड,

नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043

अतुल कुमार सिंह, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 1st January 2021

No. A.39011/44/16-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri P. N. Joshi, Superintendent, President's Garden, President's Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2020.

SHIVENDRA CHATURVEDI, Deputy Secretary (Admn)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 31st December 2020

No. A.22012/1(i)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/10/2020-CS.I(U) dated 21st December, 2020, the President is pleased to appoint Shri Kumar Shailendra, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on 'ad-hoc basis' with effect from the forenoon of 22.12.2020 and for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:
 - i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors;
 - c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgment dated 12.11.2018;
 - d. Any other connected court matter.
 - ii. The ad hoc promotion shall not confer any right on the Officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
 - iii. The ad hoc promotion shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
 - iv. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
 - v. The ad hoc promotion will take effect from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22012/1(ii)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/10/2020-CS.I(U) dated 21st December, 2020, the President is pleased to appoint Shri Mukul Dixit, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on 'ad-hoc basis' with effect from the forenoon of 22.12.2020 and for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:
 - i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors;

- c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgment dated 12.11.2018;
- d. Any other connected court matter.
- ii. The ad hoc promotion shall not confer any right on the Officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- iii. The ad hoc promotion shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- iv. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- v. The ad hoc promotion will take effect from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22012/1(iii)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/10/2020-CS.I(U) dated 21st December, 2020, the President is pleased to appoint Shri Vikash Kumar, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on 'ad-hoc basis' with effect from the forenoon of 22.12.2020 and for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

- i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors;
 - c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgment dated 12.11.2018;
 - d. Any other connected court matter.
- ii. The ad hoc promotion shall not confer any right on the Officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- iii. The ad hoc promotion shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- iv. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- v. The ad hoc promotion will take effect from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22012/1(iv)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/10/2020-CS.I(U) dated 21st December, 2020, the President is pleased to appoint Shri Chandan Singh, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on 'ad-hoc basis' with effect from the forenoon of 22.12.2020 and for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

- i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;

- b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors;
- c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgment dated 12.11.2018;
- d. Any other connected court matter.
- ii. The ad hoc promotion shall not confer any right on the Officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- iii. The ad hoc promotion shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- iv. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- v. The ad hoc promotion will take effect from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22012/1(v)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/10/2020-CS.I(U) dated 21st December, 2020, the President is pleased to appoint Shri Lakshmi Chandra, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on 'ad-hoc basis' with effect from the forenoon of 22.12.2020 and for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

- i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors;
 - c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgment dated 12.11.2018;
 - d. Any other connected court matter.
- ii. The ad hoc promotion shall not confer any right on the Officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- iii. The ad hoc promotion shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- iv. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- v. The ad hoc promotion will take effect from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22012/1(vi)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/10/2020-CS.I(U) dated 21st December, 2020, the President is pleased to appoint Shri Saurabh Misra, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on 'ad-hoc basis' with effect from the forenoon of 22.12.2020 and for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

- i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;

- b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors;
- c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgment dated 12.11.2018;
- d. Any other connected court matter.
- ii. The ad hoc promotion shall not confer any right on the Officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- iii. The ad hoc promotion shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- iv. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- v. The ad hoc promotion will take effect from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22012/1(vii)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/10/2020-CS.I(U) dated 21st December, 2020, the President is pleased to appoint Shri Prem Pal Singh, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on 'ad-hoc basis' with effect from the afternoon of 21.12.2020 and for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

- i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors;
 - c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgment dated 12.11.2018;
 - d. Any other connected court matter.
- ii. The ad hoc promotion shall not confer any right on the Officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- iii. The ad hoc promotion shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- iv. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- v. The ad hoc promotion will take effect from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

The 1st January 2021

No. A.22012/1(i)/2020-PME (Pt-I)—The President is pleased to appoint Shri Yadav Manharsinh Laxmanbhai, IFS(2007) as Director by re-designating the post of Deputy Secretary held by him in the Prime Minister's Office, as a measure personal to him, with effect from 01.01.2021 (F/N).

2. The tenure of Shri Yadav Manharsinh Laxmanbhai, IFS(2007) has been extended for a period of one year beyond 28.01.2021 i.e. upto 28.01.2022, or until further orders, whichever is earlier.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22012/1(ii)/2020-PME (Pt-I)—The President is pleased to appoint Shri Mangesh Ghildiyal, IAS (UD:2012) presently Under Secretary in the Prime Minister's Office as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office, with effect from 01.01.2021 (F/N) and for a period up to 01.10.2024, or until further orders, whichever is earlier.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

The 2nd January 2021

No. A.22012/1/2020-PME (Pt.1)—The President is pleased to extend the tenure of central deputation of Ms. Aishvarya Singh, IAS (SK:2008), Deputy Secretary in the Prime Minister's Office for a period of one year beyond 05.02.2021 or until further orders, whichever is earlier.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

The 5th January 2021

No. G.F. 402/2015-PME—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Amrik Singh, Director is designated as Appellate Authority with effect from the afternoon of 11th December, 2020 in respect of all matters under the said Act pertaining to the Prime Minister's Office.

2. This issues in supersession of this Office's Notification No. G.F. 402/2015-PME dated 14.01.2019.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 31st December 2020

No. A-19011/10/92-Admn.I(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri D.S. Mehra, Additional Government Advocate of the Government Advocate cadre of Indian Legal Service, presently on deputation as Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Siliguri retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2020.

A.K. JOSHI, Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th January 2021

No. I-14011/19/2020-IPS.I (E) (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission, on 01.01.2021, has approved the Select List of the year 2019 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 01.12.2020, containing the name of the following State Police Service Officer of Rajasthan towards filling up of 05 vacancies in the Rajasthan Cadre of Indian Police Service:—

Select List 2019

S. No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.*	Bharat Lal Meena (ST)	31.07.1963
2.	Manish Tripathi	15.08.1971
3.	Sudhir Joshi	30.06.1974
4.	Raj Kumar Chaudhary	06.08.1966
5.#	Satya Pal Midha	02.08.1963

* The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

The name at Sl. No. 5 has been included in the list provisionally subject to grant of Integrity Certificate by the State Govt.

A. K. SARAN, Director (Police)

No. I-14011/19/2020-IPS.I (E) (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Rajasthan Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Rajasthan Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2019

S. No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Manish Tripathi	15.08.1971
2.	Sudhir Joshi	30.06.1974
3.	Raj Kumar Chaudhary	06.08.1966

2.The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10-05-2011.

3.The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

A. K. SARAN, Director (Police)

No. I-18012/03/2020-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the West Bengal Cadre, with effect from the date mentioned against each officer:—

S.No.	Names of the Officers (S/Shri/Ms.)	Date of Confirmation
01	Chirantan Nag (SL-2009)	22.02.2011
02	Ongmu Gyamtsho Pal(SL-2009-A)	01.03.2012
03	Md. Imran Wahab (SL-2009-A)	01.03.2012
04	Ajay Kumar Thakur (SL-2010)	08.06.2013
05	Arnab Ghosh (SL-2010)	08.06.2013
06	David Ivan Lepcha (SL-2014)	08.02.2017
07	Dyutiman Bhattacharya (SL-2014)	08.02.2017
08	Angshuman Saha (SL-2015)	11.12.2018
09	Saikat Ghosh (SL-2015)	11.12.2018
10	Debasish Nandi (SL-2016)	11.02.2020
11	Raj Narayan Mukherjee (SL-2016)	11.02.2020
12	Dibyajyoti Das (SL-2016)	11.02.2020
13	Jyotirmoy Roy (SL-2016)	11.02.2020
14	Nima Norbu Bhutia (SL-2016)	11.02.2020
15	Chandra Sekhor Bardhan (SL-2016)	11.02.2020

A.K.SARAN, Director (Police)

No. I-18012/04/2020-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Gujarat cadre, with effect from the dates indicated against each:—

S.No.	Names of the Officers (S/Shri/Ms.)	Date of Confirmation
01	M.A. Chavada (SL-2005)	12.05.2007
02	J.R. Mothaliya (SL-2005)	12.05.2007
03	S.K. Gadhvi (SL-2008)	25.02.2010
04	H.R. Muliana (SL-2008)	25.02.2010

05	D.H. Pramara (SL-2008)	25.02.2010
06	M.S. Bharada (SL-2009)	08.04.2011
07	H.R. Chaudhary (SL-2009)	08.04.2011
08	P.L. Mal (SL-2010)	01.05.2013
09	M.L. Ninama (SL-2010)	01.05.2013
10	M.S. Bhabhor (SL-2010)	01.05.2013
11	B.R. Pandor (SL-2010)	01.05.2013
12	N.N. Chaudhari (SL-2010)	01.05.2013
13	A.G. Chauhan (SL-2010)	01.05.2013
14	M.K. Nayak (SL-2010)	01.05.2013
15	R.V. Asari (SL-2010)	01.05.2013
16	K.N. Damor (SL-2010)	01.05.2013
17	Smt. P.V. Rathod (SL-2011)	28.12.2013
18	R.M. Pande (SL-2011)	28.12.2013
19	K.A. Ninama (SL-2012)	06.01.2015

A.K.SARAN, Director (Police)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi, the 17th December 2020

No. A-19013/01/2000(1)-Admin. I (6642)—Consequent on his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) of Central Secretariat Service (CSS) on 'ad-hoc' basis in terms of DoPT's Order No. 4/6/2018-CS-I (D) (Pt.) dated 11th December, 2020 and on his assumption of charge, the President is pleased to appoint Shri Shyam Sunder Modi, Deputy Secretary (CSL No. 6080) of CSS in Department of Administrative Reforms & Public Grievances to the post of Sr. Selection Grade (Director) on 'ad-hoc' basis in the Pay Matrix Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) w.e.f. the forenoon of 14th December, 2020.

2. The appointment/promotion of the above officer as Director on 'ad-hoc' basis is subject to following conditions:

(i) The ad-hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

- (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final Judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court.
- (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors.
- (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's Judgment dated 12.11.2018.
- (d) Any other connected court matter.

(ii) The ad-hoc promotions shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Director indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

(iii) The ad-hoc promotions shall be initially for a period upto 31.12.2021 or until further orders, whichever is earlier.

(iv) The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

KHAMCHIN NAULAK, Under Secretary

No. A-19013/01/2000(2)-Admin. I (6642)—Consequent on his inclusion in the Senior Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on 'ad-hoc' basis in terms of DoPT's Order No. 4/5/2020-CS-I (D) dated 11th December, 2020 and on his assumption of charge, the President is pleased to appoint Shri Dhananjay Kumar, Under

Secretary (USSL. 2010) CSL No. 6619) in Department of Administrative Reforms & Public Grievances to the post of Selection Grade (Deputy Secretary) on 'ad-hoc' basis in the Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) w.e.f. the forenoon of 14th December, 2020.

2. The appointment/promotion of the above officer as Director on 'ad-hoc' basis is subject to following conditions:

(i) The ad-hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

- (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final Judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court.
- (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors.
- (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's Judgment dated 12.11.2018.
- (d) Any other connected court matter.

(ii) The ad-hoc promotions shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

(iii) The ad-hoc promotions shall be initially for a period up to 31.12.2021 or until further orders, whichever is earlier.

(iv) The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

KHAMCHIN NAULAK, Under Secretary

No. A-19013/01/2000(3)-Admin. I (6642)—Consequent on his inclusion in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on 'ad-hoc' basis in terms of DoPT's Order No. 5/10/2020-CS-I (U) dated 11th December, 2020 and on his assumption of charge, the President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar, Section Officer (SOSL 2010 CSL No. 10700) of CSS in Department of Administrative Reforms & Public Grievances to the post of the post of Grade-I (Under Secretary) on 'ad-hoc' basis in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) w.e.f. the forenoon of 14th December, 2020.

2. The appointment/promotion of the above officer as Director on 'ad-hoc' basis is subject to following conditions:

(i) The ad-hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

- (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final Judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court.
- (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors.
- (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's Judgment dated 12.11.2018.
- (d) Any other connected court matter.

(ii) The ad-hoc promotions shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Director indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

(iii) The ad-hoc promotions shall be initially for a period up to 30.12.2021 or until further orders, whichever is earlier.

(iv) The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

KHAMCHIN NAULAK, Under Secretary

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi, the 2nd March 2020

No. 14015/03/2019-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Assam containing the following names prepared on 26.12.2019 under Regulation 5(5) and approved on 17.02.2020 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Assam Segment of Joint Assam-Meghalaya cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2018 :—

Select List of 2018 (Against vacancies arisen between 1.1.2018 to 31.12. 2018)

Sr. No.	Name (S/Shri/Ms)	Date of Birth
1.	Hitesh Dev Sarma	02.07.1962
2.	Hemen Das	02.01.1962
3.	Devajyoti Hazarika	02.03.1962
4.	Seema Rekha Bhuyan	09.11.1962
5.	Binita Pegu	02.06.1967
6.	Roopjyoti Saharia	23.01.1962
7.	Umananda Doley	15.08.1964
8.	Prabhati Thaosen	11.11.1965
9.	Jurie Deka Thakur	10.05.1963

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/03/2019-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Assam to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2018, on probation until further orders and to allocate them to the Assam-Meghalaya Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List of 2018 (Against vacancies arisen between 1.1.2018 to 31.12. 2018)

Sr. No.	Name (S/Shri/Ms)	Date of Birth
1.	Hitesh Dev Sarma	02.07.1962
2.	Hemen Das	02.01.1962
3.	Devajyoti Hazarika	02.03.1962
4.	Seema Rekha Bhuyan	09.11.1962
5.	Binita Pegu	02.06.1967
6.	Roopjyoti Saharia	23.01.1962
7.	Umananda Doley	15.08.1964
8.	Prabhati Thaosen	11.11.1965
9.	Jurie Deka Thakur	10.05.1963

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 15th September 2020

No. 14015/21/2020-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Tamil Nadu containing the following names prepared on 27.08.2020, under Regulation 5(5) and approved on 14.09.2020, under Regulation 7(2)

towards filling up promotion quota vacancies in Tamil Nadu cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:—

Select List 2019 (Against vacancies arisen between 1.1.2019 to 31.12. 2019)

Sl.No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.	B. Ganesan	16.04.1975
2.	M.S. Sangeetha	06.06.1976
3.	T. Christuraj	26.10.1976
4.	R. Brindha Devi	08.03.1978
5.	M. Aruna	01.06.1977

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No.14015/21/2020-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2019, on probation until further orders and to allocate them to the Tamil Nadu Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2019 (Against vacancies arisen between 1.1.2019 to 31.12. 2019)

Sl.No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.	B. Ganesan	16.04.1975
2.	M.S. Sangeetha	06.06.1976
3.	T. Christuraj	26.10.1976
4.	R. Brindha Devi	08.03.1978
5.	M. Aruna	01.06.1977

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 9th October 2020

No. 14015/06/2020-AIS (I)-A.—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Gujarat containing the following names prepared on 03.09.2020, under Regulation 5(5) and approved on 07.10.2020, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Gujarat cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:—

Select List 2019(Against vacancies arisen between 1.1.2019 to 31.12. 2019)

Sl.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1*.	A R Singh	10.06.1963
2#.	A M Zala	15.10.1962
3.	D D Jadeja	16.07.1968
4%.	S K Modi	31.07.1966
5.	R M Tanna	28.02.1967
6.	A B Patel	28.11.1965
7.	P R Joshi	11.08.1964

Sl.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
8.	K C Sampat	28.12.1966
9@.	J D Joshi	26.02.1968
10.	R A Merja	28.06.1963
11.	M K Dave	07.02.1966
12.	P D Palsana	01.06.1966
13.	A B Rathod	25.10.1964
14.	N N Dave	22.03.1965
15.	V N Shah	05.10.1966
16.	S K Prajapati	04.07.1969

* The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

The name at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary and criminal proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

% The name at Sl. No. 4 has been included in the list provisionally subject to clearance of Adverse Remarks in his ACR and grant of Integrity Certificate by the State Government.

@ The name at Sl. No. 9 has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceeding against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/06/2020-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Gujarat to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2019, on probation until further orders and to allocate them to the Gujarat Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2019(Against vacancies arisen between 1.1.2019 to 31.12. 2019)

Sl.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	D D Jadeja	16.07.1968
2.	R M Tanna	28.02.1967
3.	A B Patel	28.11.1965
4.	P R Joshi	11.08.1964
5.	K C Sampat	28.12.1966
6.	R A Merja	28.06.1963
7.	M K Dave	07.02.1966
8.	P D Palsana	01.06.1966
9.	A B Rathod	25.10.1964
10.	N N Dave	22.03.1965
11.	V N Shah	05.10.1966
12.	S K Prajapati	04.07.1969

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 2nd December 2020

No.14015/16/2020-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List 2019 of State Civil Service officers of Nagaland containing the following names, prepared on 28.09.2020 under Regulation 5(5) and approved on 25.11.2020, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Nagaland Cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2019:—

Select List 2019 (Against vacancies arisen between 1.1.2019 to 31.12.2019)

Sr. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of Birth
1.	Neposo Theluo (ST)	20.09.1963
2.	K. Libanthung Lotha (ST)	12.06.1965
3.	Lhouchalie Viya (ST)	12.08.1965
4.	K. S. Anden Konyak (ST)	12.06.1965
5.	Khrupi Sothu (ST)	31.03.1963
6.	Athel O. Lotha (ST)	21.08.1965
7.	Wezope Kenye (ST)	22.09.1965

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No.14015/16/2020-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Nagaland to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2019, on probation until further orders and to allocate them to the Nagaland Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2019 (Against vacancies arisen between 1.1.2019 to 31.12.2019)

Sr. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of Birth
1.	Neposo Theluo	20.09.1963
2.	K. Libanthung Lotha	12.06.1965
3.	Lhouchalie Viya	12.08.1965
4.	K. S. Anden Konyak	12.06.1965
5.	Khrupi Sothu	31.03.1963
6.	Athel O. Lotha	21.08.1965
7.	Wezope Kenye	22.09.1965

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

The 15th December 2020

No. 14015/04/2018-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select Lists of State Civil Service officers of Bihar containing the following names prepared on 14.10.2020 under Regulation 5(5) and approved on 10.12.2020, under Regulation 7(2) towards

filling up promotion quota vacancies in Bihar cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2016 & 2017 (SCS):—

Select List of 2016 (Against vacancies arisen between 01.01.2016 to 31.12.2016)

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1*	Raghunandan Jha	01.01.1961
2@	Parmeshwar Ram	06.02.1959
3	Ajay Kumar Sinha	05.01.1960
4.	Dr. Rajiv Kumar	13.07.1960
5#.	Mukesh Dutta Sharma	29.02.1960
6.	Arun Kumar	06.01.1961
7.	Ram Anugrah Narayan Singh	18.12.1962
8.	Om Prakash Pal	02.01.1962
9@	Om Prakash Prasad	05.07.1962
10.	Nivedita Roy	28.12.1960
11.	Ramesh Prasad Ranjan	18.02.1960
12.	Jai Shankar Prasad	14.01.1962
13	Neelam Choudhary	20.07.1964
14.	Vijay Ranjan	09.10.1961
15.	Satish Kumar Sharma	19.01.1963

*The name of the officer at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

@The names of the Officers at Sl. No. 2 and 9 have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings and criminal proceeding pending against them and grant of Integrity Certificate by the State Government.

#The name of the Officer at Sl. No. 5 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

Select List of 2017(Against vacancies arisen between 01.01.2017 to 31.12.2017):-

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
%0A*	Raghunandan Jha	01.01.1961
%0B@	Parmeshwar Ram	06.02.1959
%0C#	Mukesh Dutta Sharma	29.02.1960
%0D@	Om Prakash Prasad	05.07.1962
1.	Pankaj Patel	26.01.1961
2.	Manoj Kumar Jha	11.05.1961
3.	Kritya Nand Singh	01.03.1961
4.	Jiut Singh	02.09.1963
5.	Bimalesh Kumar Jha	30.12.1961
6.	Rishideo Jha	12.11.1962
7.	Sanjay Kumar Singh	19.02.1962
8.	Sanjay Kumar Upadhyay	14.12.1963

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
9.	Rakesh Mohan	18.01.1961
10.	Dayanand Mishra	09.08.1961
11.	Rameshwar Pandey	14.03.1962
12.	Raj Kumar Sinha	15.11. 1961
13.	Shyam Kishore	14.11.1961
14.	Ram Ishwar	25.01.1963
15.	Om Prakash Yadav	08.08.1963
16.	Prabhu Ram	18.01.1961
17.	Suresh Choudhary	05.04.1964

%The Officers at Sl. No. 0A, 0B, 0C and 0D have been included in the Select List in addition to the normal size of the Select List in accordance with 2nd Proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulation, 1955.

*The name of the Officer at Sl. No. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

@The names of the Officers at Sl. No. 0B and 0D have been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings and criminal proceedings pending against them and grant of Integrity Certificate by the State Government.

#The name of the Officer at Sl.No. 0C has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/04/2018-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Bihar to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select Lists of 2016 & 2017, on probation until further orders and to allocate them to the Bihar Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List of 2016 (Against vacancies arisen between 01.01.2016 to 31.12.2016)

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.	Arun Kumar	06.01.1961
2.	Ram Anugrah Narayan Singh	18.12.1962
3.	Om Prakash Pal	02.01.1962
4.	Nivedita Roy	28.12.1960
5.	Jai Shankar Prasad	14.01.1962
6.	Neelam Choudhary	20.07.1964
7.	Vijay Ranjan	09.10.1961
8.	Satish Kumar Sharma	19.01.1963

Select List of 2017(Against vacancies arisen between 01.01.2017 to 31.12.2017)

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.	Pankaj Patel	26.01.1961
2.	Manoj Kumar Jha	11.05.1961

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
3.	Kritya Nand Singh	01.03.1961
4.	Jiut Singh	02.09.1963
5.	Bimalesh Kumar Jha	30.12.1961
6.	Rishideo Jha	12.11.1962
7.	Sanjay Kumar Singh	19.02.1962
8.	Sanjay Kumar Upadhyay	14.12.1963
9.	Rakesh Mohan	18.01.1961
10.	Dayanand Mishra	09.08.1961
11.	Rameshwar Pandey	14.03.1962
-12.	Raj Kumar Sinha	15.11. 1961
13.	Shyam Kishore	14.11.1961
14.	Ram Ishwar	25.01.1963
15.	Om Prakash Yadav	08.08.1963
16.	Prabhu Ram	18.01.1961
17.	Suresh Choudhary	05.04.1964

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 5th January 2021

No. 01/PB-I/2021—On attaining the age of superannuation, Mr. Bhola Nath Dutta (DOB: 01.01.1961), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 31st December, 2020.

MANOJ KUMAR SAHU, Administrative Officer (PB-I)

No. 02/PB-I/2021—On attaining the age of superannuation, Mr. Mohan Lal (DOB: 01.01.1961), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 31st December, 2020.

MANOJ KUMAR SAHU, Administrative Officer (PB-I)

No. 03/PB-I/2021—On attaining the age of superannuation, Ms. Bimla Chauhan (DOB: 11.12.1960), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 31st December, 2020.

MANOJ KUMAR SAHU, Administrative Officer (PB-I)

O/O DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 4th January 2021

No. DIII/460/CF-11/2020—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Krishna Narsingrao Pimple as the Honorary Consul of the United Republic of Tanzania in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Krishna Narsingrao Pimple comprises the States of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh with the seat in Chennai.

GAURAV KUMAR THAKUR, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

New Delhi, the 1st December 2020

No. 10/2020 (F.No. 6/2619/2016/HRD-I/1445)—On attaining the age of Superannuation, Shri Ram Kumar Sharma, PPS (CSSS) in the Directorate General of Foreign Trade stands retired from Government service with effect from 30.11.2020 (A/N).

SANJAY KUMAR TIWARI, Dy. Director General of Foreign Trade

The 31st December 2020

No. I/2021 (F. No. 6/2640/2011/HRD-I/1 to 6)—On attaining the age of superannuation, Ms. Thresia Mathew, Dy. DGFT in the Directorate General of Foreign Trade stands retired from Government service with effect from 31.12.2020 (A/N).

SANJAY KUMAR TIWARI, Dy. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
New Delhi -110108, the 28th December 2020

No. A 12025/02/2018-CHS-IV (FTS-3155156)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased appoint Dr. Saswati Das to the post of Specialist Grade-III (Bio-Chemistry) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation for a period of one year with effect from the forenoon of 27.11.2018, until further orders.

VIVEK NARAYAN, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th January 2021

No. ERB-I/2016/2/30—The President is pleased to appoint Shri Naresh Salecha, IRAS, as Member (Finance), Railway Board in Apex Scale (Pay Level-17 as per 7th CPC), with effect from afternoon of 30.12.2020.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

No. ERB-I/2017/2/44—The President is pleased to appoint Smt. Alka Arora Misra, IRPS as Additional Member (HR), Railway Board on promotion to Pay Level-16, with effect from forenoon of 01.01.2021.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

No. ERB-I/2020/2/65—The President is pleased to appoint Shri Suneet Sharma, IRSME, as Chairman & Chief Executive Officer (CEO), Railway Board in Apex Scale (Pay Level-17 as per 7th CPC), with effect from forenoon of 01.01.2021.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

The 5th January 2021

No. ERB-I/2020/2/2—Shri Y.S. Chaudhary, Principal Private Secretary (PPS) Grade Officer of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) has been promoted to Senior Principal Private Secretary (Sr.PPS) Grade [PB-3, ₹15,600-39,100/- + Grade Pay ₹7,600(pre-revised)] of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) with effect from 01.01.2021 (F.N.).

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 31st December 2020

No.Q-16012/01/2020-ESA (WE)—In pursuance of para 3(i) and 4(i) of the Rules and Regulations of Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, (DTNBWED, formerly Central Board for Workers Education), the Government of India hereby nominates Shri Virjesh Upadhyay as Chairman of the DTNBWED with immediate effect and until further orders.

The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour and Employment Notification No. Q-16012/1/2016-ESA(WE) dated 13th September, 2018 published in the Gazette of India Part-I as amended from time to time in as much as it pertains to Sl. No. 1 of the said notification.

For the existing entry viz:-

“Shri Hiranmay J. Pandya,
109, Mittal Apartment, Near Tube Company
Juna Padra Road,
Vadodara – 390020”

the following shall be substituted viz:-

“Shri Virjesh Upadhyay,
House No. 32A/1, Shivpuri Part-II
Dwarka Goyala Road
Najafgarh, New Delhi - 110043”

ATUL KUMAR SINGH, Under Secretary